ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-7* September- 2020
Innovation The Research Concept

नैतिक मूल्यों का हनन मानव अधिकार के लिए चुनौती अवैध मानव व्यापार के संदर्भ में

Violation of Moral Values For Human Rights Challenge In The Context of Illegal Human Trade

Paper Submission: 12/09/2020, Date of Acceptance: 26/09/2020, Date of Publication: 27/09/2020

कुमारी अनुपमा भारती
सहायक शिक्षक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
ललित नारायण मिथिला
यूनिवर्सिटी, दरभंगा,
बिहार, भारत

सारांश

मानव अधिकार की अवहेलना मनुष्य के गिरते हुए नैतिक स्तर का कारण भी है, इतना ही नहीं अवैध मानव व्यापार भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। प्रस्तुत आलेख में स्वाभाविक अधिकार का यह सिद्धांत अन्य प्राणियों के प्रति भी मानव हृदय में उदार भाव की कल्पना करता है। इस आलेख में महिलाओं से जुड़े विभिन्न आयामों पर दृष्टि डालने का प्रयास किया है। महिला से जुड़े पहलुओं को इसमें दृष्टिगत कर उसे अमानवीय कृत्य से ऊपर अधिकारों के संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व निभाने में सहायक सिद्ध होगी। 21वीं शताब्दी तक आते–आते महिलाओं की स्थिति में निसंदेह सुधार हुआ है। लेखिका भी सशक्तिकरण की मंजिल काफी दर है। क्योंकि भारतीय सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान अभी भी पुरुषों के पक्ष में झुके हुए हैं, इसके बावजूद सुधार आंदोलनों, अधिनियमों एवं कानूनों के कारण महिलाओं की उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

The violation of human rights is also the reason for the declining moral standard of human beings, not only that illegal human trade is also playing its important role. This theory of natural right in the article presented conceives a generous feeling in the human heart towards other beings also. In this article, we have tried to look at various dimensions related to women. Looking at the aspects related to women, it will prove to be helpful in taking responsibility for the protection of rights above inhuman acts. By the 21st century, the condition of women has undoubtedly improved. Writers also have a considerable rate of empowerment. Because Indian socio-religious rituals are still leaning in favor of men, the reform movements, acts and laws have led to the advancement and progress of women.

मुख्य शब्द : अवैध मानव व्यापार, मानव अधिकार, अत्याचार अपमान।
Illegal Human Trafficking, Human Rights, Torture Insults.

प्रस्तावना

विगत वर्षों में नैतिक मूल्यों का हनन मानव अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। महिलाओं और बच्चों के हो रहे बलात्कार, अपमान और अवैध व्यापार हमारे राष्ट्र व समाज दोनों के लिए शर्म की बात है। आज जहां एक ओर कहीं ना कहीं अमाननीय कृत्य के कारण अपनी समस्या से भी जूझ रही है। इस अमानवीय कृत्य का मुख्य कारण गिरते हुए नैतिक स्तर– हत्या, बलात्कार, अत्याचार, अपमान इत्यादि है। जो इसके सफलता के मार्ग में कभी–कभी एक पत्थर सा साबित होता है।

इतिहास गवाह है कि भारतीय समाज में महिलाएं हमेशा ही या तो संपत्ति समझी जाती थी या भोग की वस्तु मानी जाती रही है। जन्म लेते ही पिता की विवाह उपरांत पति की और बुढ़ापे में पुत्र की संपत्ति समझी जाती रही है वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती और ना ही उसे उसका अधिकार ही प्राप्त रहा है संविधान के विभिन्न उपबन्धों का सहारा लेते हुए लेखिका ने इस अमानवीय कृत्य के प्रति अपने बौद्धिक एवं तार्किक विचारों के द्वारा इसके विरुद्ध एक जन अभियान चलाने की वकालत की है।

महिलाओं के साथ होने वाले ये अमानवीय कृत्य अपमानजनित दुर्व्यवहार एवं अवैध व्यापार के लिए कभी–कभी महिला ही जिम्मेदार है जो शर्मसार होने वाली बात है इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है?

वही नारी समाज व राष्ट्र के हित में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करती है और दूसरी ओर कुकृत्य में भी अपने को शामिल करती है जो राष्ट्र हित में रोड़ा साबित हो रही है गिरते हुए नैतिक स्तर आर्थिक अभावगस्त महिलाएं एवं गरीबी से जूझते हुए बच्चे अवैध मानव व्यापार का मुख्य कारण है। मानवाधिकार के इस चुनौती से सामना करने के लिए समाज के व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं एवं बच्चों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

समाज में अभी भी ऐसे वर्ग में मौजूद हैं जो अब भी पूर्ण रूपेण सुरक्षित नहीं हैं। इस वर्ग में सबसे बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। इन के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त कदम उठाना समय की बढ़ती मांग है। इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं किंतु पूर्ण नियंत्रण एवं संरक्षण नहीं हो पा रहा है। अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के कारण महिलाओं एवं बच्चों का व्यापार अनेक क्षेत्रों में बढ़ रहा है। जो उनके मानवीय अधिकारों के हनन का सबसे शर्मनाक उदाहरण है। इसमें पीड़ित व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से शोषण होता है। विगत कुछ वर्षों से अवैध मानव व्यापार एवं मानव अधिकारों का संबंध चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके दो पहलू हैं पहला कि मानव दूर्व्यापार, मानवाधिकारों का संरक्षण ना होने का सबसे बड़ा प्रतीक है और दूसरा मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों में पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों के मानव अधिकारों का उल्लंघन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का समानता अधिकार महिला को नहीं होता यही कारण है कि बहुसंख्यक महिलाओं को स्वतंत्र एवं गरिमामई जीवन जीना कठिन हो जाता है। और वे शोषित होने के लिए बाहय हो जाती हैं कमो वंश यही परिस्थिति बच्चों के साथ भी हैं । वह असमर्थ एवं असहाय होते हैं उनकी मासूमियत के कारण प्राय मानव दूर व्यापार को देह व्यापार के समतुल्य समझा जाता है। इस विषय के अल्पज्ञान के कारण पीड़ित व्यक्तियों के मानव अधिकारों का पुलिस और अधिकारियों द्वारा हनन का मामला भी विभिन्न समाचार पत्रों न्यूज चौनलों के माध्यम से प्रकाश में आता है। इस इस व्यापार में शामिल व्यक्ति का जो सही मायने में अपराधी है वे खुलेआम घूमते रहते हैं उनके अपराधों का दंड भुगत रहे मजबूर बालक या महिलाएं समाज व अधिकारियों द्वारा बराबर प्रताड़ित किए जाते हैं। इसलिए मानो दुर्ग व्यापार या अवैध मानव व्यापार पद के अर्थ एवं धारा को समझना कानून बेल विधि निर्माता पदाधिकारियों से जुड़े लोगों के साथ–सथ समाज के लिए भी यह आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है अतः आई टी. पी. ए. के अंतर्गत कार्य पुलिस अधिकारी के पास ऐसी सभी परिस्थितियों में जिसमें अवैध व्यापार के कारण मसाज पार्लर बारो टूरिस्ट सर्किल इसका सेवाएं दोस्ती क्लबों इत्यादि गठित किसी भी रूप में व्यवसाय यौन शोषण होता है अथवा होने की संभावना रहती है कार्रवाई करने का अधिकार होता है अवैध व्यापार एक संगठित अपराध है माना अवैध व्यापार अपराधों का अपराध है। इसे अपराधों का समूह कहा जाता है। इस समूह में भाग ले जाने का कार्य अपरहण अवैध निरोधक अवैध बंदी करण अपराधिक समाज चोट गंभीर चोट यौन प्रहार लज्जा हरण बलात्कार अप्राकृतिक दुर्व्यवहार मनुष्यों की खरीद बिक्री दासता अपराधिक षड्यंत्र अपराध के लिए अवप्रेरण इत्यादि अपराध पाए जाते हैं।

चाइल्ड अवैध व्यापार का अर्थ वैधानिक किया अवैधानिक तरीके से देश की सीमा के अंदर या सीमा पार धमकी बल प्रयोग अथवा किसी बांधे कारी उपायों द्वारा अगवा करके झांसा देकर धोखा देकर शक्ति अथवा प्रभावशाली पद का दुरुपयोग कर अथवा धन के लेनदेन या लाभ द्वारा शक्ति के अभिभावक की स्वीकृति प्राप्त कर खरीद–फरोख्त उसकी नियुक्ति उसका परिवहन करना उसे अधीन रखना है या हासिल करना है।

इस व्यापार में शामिल अधिकांश महिलाएं पिछड़े और विकासशील देशों की होती है आम भारत में मानव दूर व्यापार हेतु कई मैरिज ब्यूरो नौकरी दिलाने वाले संस्थान एवं कोचिंग सेंटर मसाज पार्लर डांस बाराती सलंगन है भारत के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए अधिकृत किया है। व्यक्तियों के गिरते हुए नैतिक स्तर महिलाओं के मानव अधिकारों के हनन का बहुत बड़ा कारण है आज खासकर तलाकशुदा विधवा महिला अल्पायु लड़कियों गरीबों से जूझते परिवार स्त्री एवं बच्चे और अनाथ बच्चे अवैध व्यापार का शिकार आसानी से हो जाते हैं आए दिन या घटना आम है कि गरीब माता–पिता इस बाल शोषण को नजरअंदाज करते हैं कभी–कभी तो परिवार का पेट पालने के लिए स्वयं अपने बच्चों को बेच देते हैं छत्तीसगढ़ की भी अनेक घटनाएं हैं पर संख्या भारत की गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने पर मजबूर है इस प्रकार भारत में अवैध व्यापार का खुलने का बहुत बड़ा कारण पालन गरीबी अशिक्षा बढ़ती हुई जनसंख्या है कम समय में अधिक पैसा कमाने की लालच बिना श्रमधन लोलुप्ता आदिमानव दुर्गापाल जैसे पेशे में लोगों को खींच रहा है अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस तरह के व्यक्ति आसानी से अवैध व्यापार के चंगुल में फंस जाते हैं।

अवैध मानव व्यापार के बहुत तेजी से बढ़ने के कारण व्यक्ति का संकीर्ण विचारधारा है जिसका एक कारण यह है कि इसके निवारण हेतु उपाय अपर्याप्त हैं विशेषज्ञों का मानना है कि गरीबी और अशिक्षा के साथ अधिकारों के प्रति अज्ञानता भी मानव व्यापार के लिए जिम्मेदार है मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता रवि श्रीवास्तव मानव व्यापार को एक दुष्चक्र और पूरी तरह संगठित अपराध मानते हैं उनका कहना है कि मानव तस्करी के अधिकतर मामलों में शुरुआत गांव के किसी व्यक्ति और प्लेसमेंटएजेंसी के गठजोड़ से होती है ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसमें घनिष्ठ परिचित एवं करीबी रिश्तेदार ही दलाल बन गए हैं

अपर्याप्त कानून और कानून का कमजोर प्रवर्तन का प्रभाव कारी दंड और अभियोजन का कम खतरा लोगों को इस अपराध को करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कानून प्रवर्तक एस ओसीकमाना दुर्गापाल की विभिन्न पहलुओं से अज्ञानता हो सकता है राष्ट्रीय मानव अधिकार

आयोग भारत की अनुसंधान रिपोर्ट एक्शन रिसर्च ऑन ट्रैफिक इन वूमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया 2002 –2003 के अनुसार पुलिस अधिकारियों में मानव अधिकार और अवैध मानव व्यापार के विषय में ज्ञान का अभाव है कानून के प्रवर्तन में कहीं ना कहीं संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की कमी है जिसके कारण अवैध मानव व्यापार से पीड़ित व्यक्तियों के दोबारा बेचने की शिकायत भी मिली है मानव व्यापार पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गया है आधुनिक युग की दास्तां समझा जाने वाला यह व्यापार भारत में भी प्रतिबंधों के बावजूद व्यापक पैमाने पर फल फूल रहा है अनुमान है कि करीब 6 करोड़ तक लोग इसकी चपेट में हैं सरकारी प्रयासों के बावजूद पीड़ितों की संख्या में लगातार बढ़ रही है।

भारत में रोजाना औसतन 400 महिलाएं और बच्चे लापता हो जाते हैं इन लोगों का ट्रैक करने का कोई कारगर तंत्र ना होने के कारण ब्यूरो के अनुसारदेश के हर आठवें मिनट में एक बच्चा लापता होता है गायब होते ही यह लोग मानव व्यापार के शिकार बन जाते हैं बड़ी तादाद में बच्चों को देह व्यापार के गणित पेशे में झोंक दिया जाता है छत्तीसगढ़ के रिसर्चर अभिषेक अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ ओडिश और झारखंड से से रोजाना सैकड़ों युवतियां खासकर आदिवासी गायब हो जाती हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 1999 में भारत में 9368 मामलेमहिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के थे और 1973 से लगातार इन मामलों की संख्या बढ़ रही है भारी संख्या से मानव दूर व्यापार वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से किया जाता है स्टेट्समैनमैं 12 अगस्त 2002 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष करीब 2 मिलियन बच्चे जबरन देह व्यापार में लाए जाते हैं।

मानव दूर व्यापार एक त्रासदी है जिसकी और जागरूक समाज का ध्यान तो आकर्षित होता है तदुपरांत चिंतन एवं मनन भी होता है परंतु की कुंजी हाथ नहीं आती यह व्यापार का एक विकृत स्वरूप है जिसके बारे में समग्र एवं प्रमाणित तत्व आज भी उपलब्ध नहीं है इसके बारे में समग्र एवं प्रमाणित तत्व आज भी उपलब्ध नहीं ज्ञात है वह मानवीय समूहों के व्यापक पैमाने पर परिवारों से दूर विस्थापन उनकी अकल्पनीय शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न भरी कष्टमय जिंदगी तथा मरणो उपरांत इन सब को छुटकारा इस प्रकार से केवल मानव की गरिमा ही खंडित होती हैं अपितु परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं।

मानव व्यापार को अवैध करार दिया गया है तो इसके विस्तार के बारे में बहुत कम आंकड़े उपलब्ध है व्यवसाय की और कर्म तो वेश्यावृत्ति के अलावा दूसरे कारों के लिए मानव व्यापार के बारे में बहुत कम सूचना उपलब्ध है 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार मानव व्यापार के लगभग 600 दो शिकार 18 वर्ष से कम उम्र के हैं एन एच आर सी की एक रिपोर्ट 1996 के अनुसार हिंदुस्तान में महिलाओं और बच्चों की संख्या 70000 से दस लाख के बीच में है जिनमे 30: 20 वर्ष के हैं इनमें लगभग 15: ने 15 वर्ष से पहले यौन कर्म शुरू किया था और 25: 15 से 18 वर्ष के बीच की उम्र में यौन कर्म से जुड़े थे अब तक यह आंकड़ा इससे कहीं गुनाह ज्यादा होंगे इन पीड़ितों को कोई भी कानूनी मदद नहीं मिलती राज्य के अधिकारी मानव व्यापारी दलालों के साथ मिले–जुले होते हैं और इन पीड़ितों को और ज्यादा तड़पते एवं बेइज्जत करते हैं यह एक देश की समस्या नहीं पूरे विश्व की समस्या है।

अवैध मानो से पार का स्पष्ट आंकड़ा बता पाना असंभव है क्योंकि यह अपराध बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है इस अपराध से पीड़ित व्यक्ति कुछ भी बताने से इनकार करते हैं शायद इसका कारण इस व्यापार में सलंग्न व्यक्तियों का खतरनाक होना है दुनियाभर के 80: से ज्यादा मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती हैंऔर बाकी बंधुआ मजदूरी के लिए भारत को एशिया में मानव तस्करी का गढ़ माना जाता है सरकार के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है सन 2011 लगभग 35000 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई जिसमें 11000 से ज्यादा सिर पश्चिम बंगाल से थे इसके अलावा यह माना जाता है कि कुछ मामलों में से केवल 30: मामले की रिपोर्ट किए गए हैं और वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है क्योंकि टाइम्स ने भारत में खासकर झारखंड में मानव तस्करी की बढ़ती समस्या पर रिपोर्ट दी है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटी उम्र की लड़कियों को नेपाल से तस्करी कर भारत लाया जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक अन्य लेख के अनुसार मानव तस्करी के मामले में कर्नाटक भारत में तीसरे नंबर पर आता है आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी के आधे से ज्यादा मामले इन्हीं राज्यों से हैं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा मानव तस्करी पर जारी एक ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि सन 2012 में तमिलनाडु में मानव तस्करी के 528 मामले में या वास्तव में एक बड़ा आंकड़ा है और पश्चिम बंगाल जहां यह आंकड़ा 54३ थाको छोड़कर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 4 सालों में कर्नाटक में मानव तस्करी के 1379 मामले रिपोर्ट में तमिलनाडु में 2244 चक्की आंध्र प्रदेश में मानव तस्करी के 2157 मामले थे फर्स्ट पोस्ट के एक लेख के अनुसार दिल्ली भारत में मानव तस्करी का गढ़ है दिल्ली घरेलू काम का जबरदस्ती शादी और वेश्यावृत्ति के लिए छोटी लड़कियों का व्यापार का हॉटस्पॉट है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2016 में भारत में मानव तस्करी के 8000 से अधिक मामले सामने आए हैं जिसमें 182 विदेशियों सहित कुल 23000 पीड़ितों को विवाह कराया गया वर्ष 2016 में देश भर में मानव तस्करी के कुल 8312 मामले सामने आए हैं यह संख्या 1 वर्ष पूर्व वर्ष 2015 में 6877 थी वर्ष 2015 में कुल 15379 पीड़ित में से 9034 पीड़ितों यानी 58: की आयु 18 वर्ष से कम थी यह संख्या वर्ष 2016 में बढ़कर 14000 183 हो गई मानव तस्करीके सबसे अधिक 3579 मामले लगभग 44 परसेंट पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए जबकि वर्ष 2015 में असम पहले और पश्चिम बंगाल 1255 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर था असम में वर्ष 2016 में मानव तस्करी के एक मामले दर्ज किए गए जो वर्ष 2015 में 14094 मामलों की तुलना में काफी कम

है वर्ष 2016 में इस सूची में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा जहां मानव तस्करी के 1422 मामले दर्ज किए गए पश्चिम बंगाल आज भारत का सबसे बड़ा सेक्स बाजार बनकर उभरा है और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं बांग्लादेश के नागरिकों और भारत ने पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच अंतर कर पाना बेहद कठिन है और साथ ही दोनों देशों के बड़े हिस्से में बहुत चौकसी का कोई व्यवस्था नहीं हैऔर जीरो लाइन के आखिरी सिरे तक दोनों देशों के लोग रहते हैं किसी का घर भारत में है तो आंगन बांग्लादेश में है अर्थात दोनों देशों के बीच लंबी खुली सीमा है एक अनुमान के अनुसार पिछले एक दशक में बांग्लादेश से लगभग 5 लाख महिलाएं लड़कियां और बच्चे अवैध रूप से भारत में लाए गए और यह संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है वहीं से लड़कियां और महिलाएं भारत लाई जाती हैं और भारत में मवेशी बांग्लादेश ले जाया जाते हैं।

2014 के ग्लोबल स्लेव इंडेक्स के मुताबिक भारत को दुनिया का स्लेव कैपिटल बताया गया थामानव तस्करी से पीड़ित हर जगह पाए जा सकते हैं कि खेतों घरेलू काम में रखे नौकरों फैक्ट्रियों में काम करने वाले भी हो सकते हैं दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में कामयाबी दंपतियों की बदली तादाद के कारण घरेलू काम करने वाली लड़कियों की मांग नहीं है कुकुर मुद्दों की तरह उग गई से सैकड़ों प्लेसमेंट एजेंसियों गरीब आदिवासी लड़कियों को सुनहरे सपने दिखाकर उन्हें घरेलू नौकरानी के काम पर लगा देती हैं झारखंड आदिवासी वीणा पहान कहती हैं अक्सर इन लड़कियों और बच्चों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है उनका कहना है कि ऐसी प्लेसमेंट एजेंसियों पर निरंतर का कोई असरदार कानून नहीं है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य डॉ पीएम नायर मानव व्यापार पर काबू पाने के लिए एक अलग सेल बनाने पर जोर देते हैं वे कहते हैं विशेष पुलिस और प्रशासनिक प्रशिक्षण देकर मानव व्यापार पर काबू पाया जा सकता है हेल्पलाइन सेवा भी सहजता से सुलभ कराने की जरूरत है छत्तीसगढ़ सरकार ने मानव व्यापार में लगी प्लेसमेंट एजेंसियों पर रोक लगाने के लिए कानून पास किया है ऐसे कानून अन्य राज्य में भी लागू किए जाने की जरूरत है 2011 में भारत में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसलेशनल आर्गेनाइजेशन क्राइम 2000 और मानव तस्करी के निवारण उसके समन और दंड से संबंधित प्रोटोकॉल को मंजूरी बीपी 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद महिला एवं विकास मंत्री ने एक कमेटी का गठन किया था कि मानव तस्करी पर रोक व्यापक कानून बनाने की व्यावहारिकता की जांच की जा सके 18 जुलाई 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मानव तस्करी निवारण संरक्षण और पुनर्वास बिल 2018 को लोकसभा में पेश किया 26 जुलाई 2018 को बिल एक सदन में पारित हो गया बिल तस्करी के शिकार लोगों के बचाओ और उनके पुर्नवास का प्रावधान करना है।

भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है मानव दूर व्यापार और बाल आश्रम का प्रतिषेध करता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य में सलंग्न करना कानूनी अपराध है भारतीय दंड संहिता की साक्ष्य विधि भी 23 एवं 24 के अधिकार के हनन की स्थिति में दोषी व्यक्ति को दंडित एवं इसके रोकथाम करने संबंधी प्रावधान का विस्तार करती है।

मानव दूर व्यापार के रोकथाम में न्यायालय की भूमिका सराहनीय है उच्चतम न्यायालय में पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 23 के क्षेत्र का पर्याप्त विस्तृत किया है इसमें बेगार से तात्पर्य ऐसे कार्य सेवाओं से है जिसे किसी व्यक्ति से बलपूर्वक बिना परिश्रमिक दिए लिया जाता है इस प्रकार बलपूर्वक किए जाने वाले कार्य से मानव गरिमा पर आघात पहुंचता है।

मानव दूर व्यापार का दूसरा है परिणाम महिलाओं को देह व्यापार के लिए मजबूर करना है महिलाओं को देह व्यापार से बचने तथा उनकी संतानो को गत से बाहर निकलने के लिए उच्चतम न्यायालय ने गौरव जैन बनाम भारत संघ के मामले में सरकार को आवश्यक निर्देश दिया वेश्यावृत्ति को रोकने तथा उनकी संतानों के पुनर्वास के लिए समुचित कल्याणकारी उपाय को करने का निर्देश सभी राज्यों को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है।

न्यायालय ने आगे कहा है किराज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे कलंकित पैसे में महिलाओं को जाने से रोकने का समुचित उपाय करें तथा पुनर्वास का प्रबंध करें जिससे वह गरिमामय जीवन जी सके जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का लक्ष्य है न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि उन्हें शिक्षा प्रदान करने की सुविधा दी जाए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए शिक्षा के माध्यम से रोजगार तथा उन से निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए उनके आवास की सुविधा विधिक सहायता निशुल्क परामर्श और इस प्रकार की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो उन्हें इस व्यवसाय में जाने से रोक कर एक सामान्य जीवन दे सके।

न्यायालय ने विभिन्न राज्यों के द्वारा इन की दशा सुधारने के लिए अपनाए गए कल्याण कार्य उपायों का हवाला देते हुए यह निर्देश दिया कि ऐसी महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग को ऐसी योजनाएं चलाना चाहिए जिससे वह पुनः इस पेशे में ना जाने पाए इसके अतिरिक्त संसद द्वारा मानव दुर्गा पाठ एवं बालश्रम को रोकने हेतु विभिन्न अधिनियम बनाए गए जो महिलाओं और बच्चों की मानव गरिमा और मानव अधिकार के संरक्षण में सहायक है इनमें प्रथम अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 है 26 जनवरी 1987 से पूर्व तक इस अधिनियम का नाम स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1956 था जिसे 1986 में संशोधित कर विद्यमान नाम दिया गया या अधिनियम अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुसरण में जिसके लिए भारत सरकारों ने 1956 में न्यूयॉर्क में वचन दिया महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार के निवारण हेतु अधिनियम किया गया 1986 का अधिनियम स्त्रियों को

आशीष प्रस्तुतीकरण प्रतिषेध अधिनियम है जो विज्ञापन प्रकाशन लेखन चित्राकन अर्थात अन्य विधि से स्त्रियों का अपशिष्ट प्रस्तुतीकरण का प्रतिषेध और उससे संबंधित अथवा सम्पाखिक मामलों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया।

अनैतिक व्यापार संशोधन विधेयक 2005 का मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनुमोदन कर दिया है यह विधेयक वेश्यावृत्ति में सलंग्न महिलाओं को पुलिस और ग्राहकों द्वारा शोषित होने से बचने का प्रावधान करता है इसमें यह भी प्रावधान है कि पुलिस किसी वेश्या को किसी विशेष जगह से बिना मुक्ति युक्त कारण के हटाने की शक्ति नहीं रखती लेकिन इसी संशोधन ने पुलिस को शारीरिक शोषण के लिए वेश्यावृत्ति में आए हुए ग्राहक के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है इस विधि द्वारा एक नई धारा 5 ख जोड़ी गई है जो बार–बार मानव व्यापार करने के लिए दोषी ठहरा व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दिए जाने का निर्देश देती है वेश्यालय खोलने वाले व्यक्ति को कम से कम2 वर्ष की सजा और ?10000 का अर्थदंड दिए जाने का भी निर्देश है यह जुर्माना अपराध की पुनरावृत्ति होने पर प्रत्येक द्वारा ?200000 तक बढ़ सकता है इस विधेयक का सबसे सराहनीय संशोधन आकाश 16 वर्ष से कम शब्द को हटा करबच्चा 18 वर्ष से कम शब्द किया जाना है इस संशोधन के उपरांत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ वैश्विक संबंध के लिए किसी व्यक्ति को शारीरिक शोषण और बलात्कार का दोषी ठहराया जा सकता है इस संशोधन के अगर पीड़ित महिलाओं के मानव अधिकार के संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो इसे सराहनीय किया जाएगा किंतु ग्राहकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार पुलिस को देना उचित नहीं है।

अध्ययन का उद्देश्य

यह लेख अवैध मानव व्यापार बलात्कार अपमान जैसे नैतिक मूल्यों के हनन प्रति एक नए दृष्टिकोण के साथ समाज में जागरूकता पैदा करने की बुनियादी तस्वीर भी उपस्थित करता है लेखिका की दृष्टि में इस अ माननीय कृत को जड़ से उखाड़ फेंकने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका सशक्त एवं प्रभावी नहीं हो सकती है क्योंकि आयोग ने अपनी स्थापना के हाल के ही वर्षों में इन तमाम चीजों के प्रति समाज में अपनी विश्वसनीयता को ना केवल कायम किया है अपितु समाज में जागरूकता फैलाने में भी मदद की है।

निष्कर्ष

देखा जाए तो यह दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने आप को सब कहते हैं और सभ्यता का कितना विकास होता जा रहा है उतना ही हम पास विकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण आज मानव अधिकार के संरक्षण हेतु प्रश्न करना पड़ रहा है मानव के अधिकार का हनन मानव द्वारा ही होना शर्मसार होने वाली बात है मानव अधिकार का संरक्षण तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के मानव अधिकार का सम्मान करें उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि ज्यादातर बच्चे एवं महिलाएं अज्ञानता व जीविका के साधन के अभाव में इस अपराध के शिकार होते हैं आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को अपने मानव अधिकारों का ज्ञान भी नहीं होता इसलिए माननीय जीवन जीना उनकी मजबूरी होती है याद रखना आवश्यक है कि व्यापार के रोकथाम के लिए बनाए गए कानून बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू होना चाहिए तमाम उपायों एवं विधियों के बाद भी महिला एवं बाल व्यापार को रोकना मानव अधिकार के लिए गंभीरता समस्या बन चुका है ऐसा नहीं है कि सरकार या जनकल्याणकारी गठन इस मामले में काम नहीं कर रहे हैं परंतु यह रास्ता लंबा है और गंतव्य दूर इसलिए इस हेतु उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं कहे जा सकते इस स्थिति में सरकार और समाज को इसके प्रति सचेत होने की जरूरत है ताकि कानून पन्नों तक ही ना रहे धरातल पर भी परिणाम दाई हो अरमानों को इसके प्रति सचेत और संवेदनशील अपेक्षित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत का संविधान
2. एक्शन रिसर्च ऑन ट्रैकिंग इन वूमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यूनिसन एवं आई एस एस प्रोजेक्ट 2002–2003
3. नेशनल क्राइम ब्यूरो क्राइम इन इंडिया दिल्ली एन सी आर वी गृह मंत्रालय भारत सरकार
4. United National protect to prevent supper and finish trafficking in persons specially women and children 2000 0HCHR.
5. Crime to India national crime and human.
6. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2017
7. पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ ए आई आर 1982 में 1973